राजस्थान–सरकार

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, राज0जयपुर।

कमांकः ई–26/राजप/पीजी–2014/2015/ **दिनांक :**

–: कार्यालय–आदेश :–

राज्य–सरकार के पत्र कमांकः प.13(1)चिस्वा/2/2014 दिनांकः 24.01.2014 के अनुसरण में निम्नांकित चिकित्सकों को उनके नामों के सम्मुख अंकित तिथि के अनुसार एत्द द्वारा अध्ययन अवकाश स्वीकृत किया जाता है:–

प्रवेश सत्र 2014 मेडिकल कॉलेज, कोटा

कस.	चिकित्सक का नाम	पीजी में अध्ययनरत विभाग	अध्ययन अवकाश स्वीकृत करने की अवधि
1	डॉ. तसनीम कौसर	एनाटोमी	05.07.14 से 04.07.17

प्रवेश सत्र 2014 मेडिकल कॉलेज, उदयपुर

कस.	चिकित्सक का नाम	पीजी में अध्ययनरत विभाग	अध्ययन अवकाश स्वीकृत करने की अवधि
1	डॉ. धर्मवीर सिंहाग	पैथोलोजी	22.07.14 से 21.07.17

प्रवेश सत्र 2014 मेडिकल कॉलेज, अजमेर

कस.	चिकित्सक का नाम	पीजी में अध्ययनरत विभाग	अध्ययन अवकाश स्वीकृत करने की अवधि
1	डॉ. साक्षी सिंह	पैथोलोजी	10.07.14 से 09.07.17

यह अध्ययन अवकाश उन्हीं चिकित्सकों हेतु मान्य होगा, जिनका पी0जी0 में चयन सेवारत कोटे के तहत हुआ है तथा जिन्होंने पूर्व में सेवारत कोटे के तहत पी.जी. करने का लाभ नहीं लिया है। राजस्थान सेवा नियम के नियम 121ए के अन्तर्गत 100/– रू0 नोन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर बन्ध–पत्र नोटेरी पब्लिक से सत्यापित किये हुये चिकित्सकों से प्राप्त होने के पश्चात ही चिकित्सकों को भुगतान किया जावें। चिकित्सकों के मूल बंध–पत्र निदेशालय को प्राप्त हो चुके हैं। तथा शेष से प्राप्त कर मूल प्रति निदेशालय को भिजवावें।

निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं,
राज0जयपुर।

कमांकः ई–26/राजप/पीजी–2014/2015/ 494 **दिनांक :** 30/4/15

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, माननीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. शासन संयुक्त सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–2) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. रजिस्ट्रार, राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, जयपुर।
5. सम्बन्धित प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कॉलेज, राजस्थान को भेजकर लेख है कि राजस्थान सेवा नियम के नियम 121ए के अन्तर्गत बन्ध–पत्र चिकित्सकों से प्राप्त होने के पश्चात ही चिकित्सकों को भुगतान किया जावें, तथा मूल प्रति निदेशालय को भिजवावें।
6. सम्बन्धित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राजस्थान।
7. सम्बन्धित प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राजस्थान।
8. सेन्ट्रल सर्वर रूम को भेजकर लेख है कि आज ही विभाग की वैबसाईट पर डालने का श्रम करें।
9. रक्षित पत्रावली।

निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं,
राज0जयपुर।